उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-10/2018/141/92-2-18-06जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 18 जनवरी 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों पर उपलब्ध कन्टीजेंसी मद की धनराशि कार्यादेशों द्वारा अधिशासी अभियंता कार्यालय भवन की रंगाई-पुताई, सेनेट्री एवं वाटर सप्लाई कार्यो पर व्यय कर वित्तीय अनियमितता किये जाने तथा अधिशासी अभियंता के रूप में सौपे गये दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से न करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-52/2016/165/92-2-2016-06जांच/2016 दिनांक 29-08-2016 द्वारा श्री एम0सी0 शर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली के पत्र संख्या-505/ग्रा0अ0वि0/आशु0-अनु0जांच/पत्रा0-08/श्री एम0सी0शर्मा,अधि0अभि0/2017-18 दिनांक 13-06-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-733/92-2-2017-06जांच/2016 दिनांक 13.07.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 12.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत निर्माण कार्य में किसी प्रकार की शासकीय क्षति नही पायी गयी है, परन्तु उक्त कराये गये कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से न लेकर मात्र उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों पर कार्यालय भवन की मरम्मत, रंगाई-पुताई पर व्यय किये जाने के द्रष्टिगत श्री एम0सी0 शर्मा के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.08.2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को भविष्य के लिये सचेत करते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/2018/141/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री एम0सी0 शर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।